International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 9; September 2016; Page No. 339-341

शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में (एक विश्लेषण)

डॉ0 सरिता पंवार

प्रवक्ता, प्रोढ़ सतत् शिक्षा प्रसार विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत।

सारंश

शिक्षा का अधिकार हमारे देश में एक मौलिक अधिकार है। उपरोक्त अधिकार के तहत शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी है। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों यथा विद्यालयों का आधारभूत ढ़ाचा, उसमें शिक्षक–शिक्षार्थी का अनुपात, जन सुविधाओं की व्यवस्था को भी अपेक्षित स्तर तक पहुॅचाने के लिए प्रयत्न करना होगा।

मूल शब्द: शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, शिक्षा की गुणवत्ता, जन सुविधाओं की व्यवस्था, उत्तराखण्ड।

प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्य पूर्ण विकास में योगदान देती है, उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है तथा उसे अपने वातावरण से सामन्जस्य स्थापित करने में सहायता करती है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों एवं दायित्वों के लिए तैयार करती है और उस के व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है।

शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। अनौपचारिक रुप से व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। परन्तु एक व्यवस्थिव क्रम में व्यक्ति औपचारिक शिक्षा विभिन्न स्तरों पर ग्रहण करता है। प्राथमिक शिक्षा इसका आधार है, तदुपरान्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा को ग्रहण करके व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर होता है। औपचारिक शिक्षा की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा है। उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट एवं गुणात्मक होना आवश्यक है।शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगींण विकास का माध्यम है एवं प्रत्येक व्यक्ति की विकास में भागीदारी है। अतः अत्यन्त आवश्यक है कि देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो इसी उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामने आया। किन्तु कुछ सामाजिक ,आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि कारणों से इस कानून को प्रभावी ढ़ग से लागू करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अध्ययन क्षेत्रः

अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल–कुमाऊ को शामिल किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर 2000 को हुआ। इस राज्य की अन्तरिम राजधानी देहरादून है। राज्य का क्षेत्रफल 53566 वर्ग किलोमीटर है तथा सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 1,01,16,652 है जनसंख्या धनत्व 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तथा लिंगानुपात 963 महिलाएं प्रति हजार पुरूष हैं।राज्य की कुल साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत है, जबकि पुरूष साक्षरता 87.40 प्रतिशत व महिला साक्षरता 70.0 प्रतिशत है।

उद्देश्य

उत्तराखण्ड के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का विश्लेषण करना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून में अन्तर्निहित है कि पहले तीन वर्षो में ढांचागत विकास को पूर्ण किया जायेगा और पॉच वर्ष पूरा होने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाने की व्यवस्था दी गयी थी। परन्तु हमारी शिक्षा पर हो रहे कम खर्च और कम बजट के कारण शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। जहॉ एक ओर 70 के दशक में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा पर सकल धरेलू आय का 6प्रतिशत खर्च करने की शिफारिश की गयी थी, वहीं इस रिपोर्ट के 50 वर्षों बाद भी हम शिक्षा पर लगभग 3.5 प्रतिशत खर्च करने के आसपास ही पहुॅच पाये हैं। वर्ष 2015–16 के बजट का कुप्रभाव भी शिक्षा पर निश्चित रुप से होने वाला है। इस परिस्थिति में एक ओर शिक्षा का अधिकार जैसा प्रगतिशील कानून जिसमें अंतरनिहित प्रावधानों से ही उसका अनुपालन सुनिश्चित था, अब ऐसे कानून के वास्तविक रुप मे लागू होने में कठिनाई बढ़ी हैं।

आजादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है। यह 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रुप से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–

- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।शिक्षा पर होने वाले व्यय का वहन सरकार करेगी।
- बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा।
- सभी बच्चों का अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता।
- आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं की व्यवस्था।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- निःशक्त बच्चों को अबाधित पहुॅच एवं समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधा।
- कक्षा प्रोन्नति का आधार मूल्यांकन होगा, परीक्षा नहीं।
- जरुरत मंद बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- विद्यालयों के संचालन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन अनिवार्य।
- उम्र के अनुसार प्रवेश और आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण।
- अध्यापक को सप्ताह में 45 धंटे/प्रतिदिन 7 धंटे 30 मिनट (इसमें तैयारी के घंटे भी सम्मिलि हैं) पढ़ाना अनिवार्य।

31मार्च 2015 को इस कानून को लागू हुए पॉच वर्ष हो चुके हैं। इस कानून के तहत , इन पॉच वर्षो मे हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो के लिए मुफ्त,अनिवार्य एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिशिचित हो

जानी चाहिए थी। लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार देश में अभी तक मात्र 10 प्रतिशत विद्यालय ही ऐसे हैं जहॉ शिक्षा के अधिकार कानून के सभी प्रावधान लागू दिखाई पड़ते हैं। इस कानून को वास्तविक रुप से लागू करने के लिए देश में 12 लाख प्रशिक्षित एवं पूर्णकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है,जिसमें से उत्तराखण्ड राज्य में ही यदि देखें तो वर्तमान में 3232 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अगर विद्यालय स्तर पर तार्किक रुप से छात्र शिक्षक अनुपात को देखें तो यह संख्या धोषित खाली पदों से कई गुना अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2 जुलाई 2013 को नियमावली में संशोधन करते हुए अधोलिखित प्राविधान सुनिश्चित किये –

- विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
- निजी विद्यालयों को स्वघोषणा के बाद बिना जॉच के पंजीकरण देने की व्यवस्था। 16 जुलाई 2014 में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया (स्थानीय प्राधिकार चाहे वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद व क्षेत्र पंचायत)
- 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवाना।
- 1 किलो मीटर के अन्दर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता।
- बच्चों को 1 से आठवीं तक की शिक्षा को पूर्ण कराने का दायित्व राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकार का है, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करें और बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करायें।

ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर विशिष्ट प्रशिक्षण

ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी उम्र के आधार पर विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना है और उसके बाद आयु निर्धारित कक्षा में उसका नामांकन किया जाना है।

एस सी आर टी (SCERT state council of educational research and training) ने इस प्रकार के बच्चों के लिए जो किताबें तैयार की हैं वे निम्नवत हैं

- 1 से 3 कक्षा तक के बच्चों के लिए सृजन –1
- 4 से 5 वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सृजन–2
- 6से 8 वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सृजन–3 नाम से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

उत्तराखण्ड के उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादूर व नैनीताल के तराई क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण चल रहा है और बहुउद्देशीय वाहन भी चलाया जा रहा है। यह वाहन बस्तियों में जा कर ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षणों तक पहुॅचाने का कार्य करता है और विद्यालयों में नामांकित भी करवाता है।

धारा 12 (1) सी के अन्तर्गत प्रति बच्चे के प्रवेश पर व्यय (उत्तराखण्ड के संदर्भ में)

क्रम संख्या	वर्ष	निजी विद्यालयों की संख्या	उपलब्ध सीट्स 25 प्रतिशत	कुल प्रवेश	प्रतिव्यय करोड़ में
1	2011–12	4061	27024	15104	6:40
2	2012–13	3690	25565	17246	13:60
3	2013–14	4244	27579	20491	33:45
4	2014–15	4386	28581	19169	48:00

नोट–उपरोक्त तालिका के अनुसार 2014–15 में अनुमानित व्यय कुल रु0 48 करोड़किया जाना सुनिशिचित किया गया।

उत्तराखण्ड सरकार ने धारा– 12(2) अधिनियम 2009,सरकारी अध्यादेश संख्या –142/xx4 (1) 2012–45/2008 टी सी दिनांक 2 अप्रैल 2012 के अनुपालन में प्रति बच्चे पर व्यय किया जाना अनिवार्य किया गया है।

क्रम संख्या	सरकार समर्थित अनुदान	धन राशि	वार्षिक/मासिक
1	पाठ्यपुस्तकें	150:00 प्रति छात्र	वार्षिक
2	वेशभूषा	400:00 प्रति छात्र	वार्षिक
3	मध्यान्ह भोजन	6:74 प्रति छात्र	प्रतिदिन (अधिकतम 230 दिन)

तालिका से ज्ञात होता है कि सरकार के प्रयास इस दिशा में सराहनीय है। परन्तु आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उत्तराखण्ड में 11:57 प्रतिशत विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। 23:14 प्रतिशत विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात के दायरे में नहीं हैं। 26 प्रतिशत विद्यालयों में विज्ञान के लिए अलग से शिक्षक नहीं है। 28:94 प्रतिशत विद्यालयों में गणित के लिए अलग से शिक्षक नहीं है। 187 विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई छात्र नहीं है। औसतन 1:43 अध्यापक गैर शिक्षण कार्यो में लगाये जा रहे हैं। इन के अतिरिक्त निम्न कारण भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सतप्रतिशत सफलता के मार्ग में बाधक हैं।

निष्कर्ष:

शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरुकता का अभाव है।

- गरीब बच्चों में स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या।
- विद्यालयों में स्वस्थ एवं भयमुक्त वातावरण का अभाव।
- जर्जर विद्यालय भवन तथा विद्यालयों में उपयुक्त एवं पर्याप्त भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का न होना।
- गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता।
- नीतियों के निर्धारण में स्थानविशेष की परिस्थितियों को घ्यान में न रखा जाना।
- बजट की कमी एवं बजट निर्गत प्रकिया जटिल।
- प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रकिया में गुणवत्ता को समाहित न करना।
- सुझाव

अनेक भौतिक अभौतिक कारक ऐसे हैं जिनके कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने वास्तविक स्वरुप को प्राप्त नहीं कर पाया निम्न सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ता एवं सशक्तता प्रदान की जा सकती है।

- प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रस्तावित बजट को शतप्रतिशत निर्गत किया जाये, एवं निवेश की राशि में वृद्धि की जाये ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाऍ एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु कार्यनीति बनाये जाने की आवश्यकता है इससे पलायन की समस्या कम होगी तथा स्थान विशेष के विद्यालयों में छात्र संख्या भी बढ़ेगी।
- राज्य की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल सम्बन्धी विषमताओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण किया जाय।
- राजनैतिक हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक है। साथ ही बुनियादी शिक्षा के सार्वत्रीकरण सम्बन्धी नीतिगत त्रुटियों को अविलम्ब दूर किया जाय।
- शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता एवं सही प्रकिया को अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे समाज के प्रति योग्य एवं समर्पित शिक्षक प्राप्त किये जा सकें। शिक्षण में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ही वरीयता दी जानी चाहिये।

- कक्षा एवं छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके साथ ही विद्यालय में सहायक कर्मियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्थानान्तरण नीति निस्पक्ष, व्यवहारिक एवं पारदर्शी बनायी जाये और नीति का अनुपालन सही रुप में किया जाये।
- विद्यालय स्तर पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये । निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण शिक्षकों के मनोबल को बढाने वाला एवं शिक्षण प्रक्रिया को सुधारात्मक स्वरुप प्रदान करने वाला हो। यह सकारात्मक, प्रोत्साहक एवं रचनात्मक होना चाहिये।
- विद्यालय का परिवेश सहज, अपनत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के प्रयास हो। जिससे छात्र विद्यालय की तरफ आकर्षित हो और नियमित उपस्थित रहने और मनोयोग से सीखने के लिए तत्पर और सक्रिय बना रहे।
- छात्रों को अनुर्त्तीण न कर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की नीति में सुधार हो जिससे छात्रों की शैक्षिक प्रगति से जुडे व्यक्तियों में दायित्वबोध की भावना विकसित हो। प्राथमिक शिक्षा तन्त्र से जुडे सभी स्तरों पर जबाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये।
- गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए निरन्तर अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अनुसंधान के परिणामस्वरुप शिक्षा को नई दिशा दी जा सके।
- बहुआयामी दक्ष और प्रतिबद्ध शिक्षक तैयार करने के लिए अत्यन्त प्रभावी एवं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली एवं कार्यक्रम सुनिश्चित किये जाये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन से शिक्षण कार्य बाधित न हो ऐसा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए चरणबद्ध एवं समयबद्धता के साथ दृढतापूर्वक गतिविधियां की जायें।
- परिवार एवं सम्पूर्ण समाज को शिक्षा के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध बनाने के प्रयास होने आवश्यक हैं जिससे कि सबको गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने में नागरिक समाज का सक्रिय प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा सके।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थाई, सार्वभौम, सर्वमान्य प्रभावी स्वरुप एवं प्रणाली विकसित की जाये। बार बार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण एवं परिवर्तन न किये जायें।
- शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों एवं अन्य विभागों से सम्वद्ध न किया जाये ।
- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाये जिससे कि अध्यापक, छात्र एवं शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
- निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों का सख्ती से पालन करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये साथ ही निजी विद्यालयों के मानक कडे किये जायें।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसी नोडल एजेंसी बनायी जाये जो कि इसकी कमियों एवं उपलब्धियों को निरन्तर उच्च स्तर तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करे। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए चरणबद्ध एवं समयबद्धता के साथ दृढतापूर्वक गतिविधियां की जायें।
- प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए चरणबद्ध एवं समयबद्धता के साथ दृढतापूर्वक गतिविधियां की जायें।
- गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए निरन्तर अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अनुसंधान के परिणामस्वरुप शिक्षा को नई दिशा दी जा सके।

सन्दर्भ

1. NCERT Sixth All India Educational Survey, National Tables Volume 2, Schools and Physical Facilities. 1998b.
2. आशा, शिक्षा का अधिकार: चुनौतियॉ और सम्भावनाएं, जन साक्षरता जून 2011 वर्ष 12 अंक 1 इंदौर मध्य प्रदेश।
3. शर्मा शिव कुमार, उत्तराखण्ड की महिलाएं एवं साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा अप्रैल 2010 नई दिल्ली।
4. त्यागी, जी डी और नन्द, विजय कुमार 2009 उदीयमान भारत में शिक्षा श्री विनोद प्रकाशन मन्दिर आगरा।
5. सिंह भूदेव, जैन सपना, उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन विकास की सम्भावनाएं,रूहेलखण्ड भौगोलिक शोध–पत्रिका।
6. संजय बी, शिक्षा के मौलिक अधिकार के समक्ष चुनौतियां, प्रौढ़ शिक्षा, अक्टूबर 2009 नई दिल्ली।